विधिक मॉड्यूल

'केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लिंग संवेदनशीलता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम'

राष्ट्रीय महिला आयोग

नई दिल्ली

सितंबर 2019

प्राक्कथन

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का रक्षोपाय करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन जनवरी 1992 में एक कानूनी निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने समय समय पर लिंग जागरूकता और महिलाओं के अधिकारों की बाबत समाज में संवेदनशीलता के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते है। साथ ही यह महसूस किया गया है कि लिंग आधारित भेदभाव, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और समाज के प्रत्येक भाग में, प्रति दिन कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थल पर प्रभाव □ालता है।

आयोग का यह विश्वास है कि विद्यालय स्तर पर लिंग संवेदनशीलता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करने से किशोर एवं किशोरियों के बीच समानता, समावेशी, और विविधता के मूल्य उनको समझाना आसान होगा जो कि स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी और लिंग संवेदनशीलता न केवल युवाओं के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है अपितु इससे विद्यार्थियों को सही उपयोगिता, आत्म अनुशासन और राष्ट्रीय भावना को समझने में भी सहायता मिलेगी।

केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों के 11वीं एवं 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों के लक्षित समूह के लिए लिंग संवेदनशीलता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम, आरंभ कर रहा है।

योजना के अनुसार आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुख्य विधियों पर एक पुस्तिका तैयार करने का विनिश्चय किया। तद्नुसार आयोग ने एक ऐसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, समिति में निम्नलिखित विशेषज्ञ हैं:-

1. □ा. किरण गुप्ता, प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
2. □ा. रीतु शर्मा, सह-आचार्य, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3. □ा. इलिना सामन्तराय, वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोए□ा

समिति ने 11वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए महिलाओं से संबंधित मुख्य विधियों पर संतुलन किया है जिससे कि विद्यालय के किशोर/किशोरी विद्यार्थियों को इस सामग्री के माध्यम से

महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और महिलाओं एवं महिलाओं पर असर □ालने वाले मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके।

यह पुस्तिका समिति द्वारा तैयार किए गए संकलन पर आधारित है और राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे जटिल विषय को सरल तरीके में प्रस्तुत करने के लिए समिति के सदस्यों के प्रयासों की सराहना करता है।

आयोग आशा करता है कि विद्यार्थियों को यह सामग्री उपयोगी और रूचिकर प्रतीत होगी। यह सरल साहित्य लिंग मुद्दों पर आधारित है। साथ ही उद्देश्यपूर्ण एवं तर्क संगत रूप से युवाओं के लिए यह सामग्री ज्ञानवर्धक साबित होगी और लिंग संतुलित समाज की ओर हमें अग्रसित करने में सहायक होगी।

****

अनुक्रमणिका

क्रम.सं.	विषय	पृष्ठ
1.	महिलाएं और भारतीय संविधान	01-03
2.	दं□ विधि और महिलाएं	04-26
3.	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	27-30
4.	महिला और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार	31-32
5.	प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश	33-37
6.	राष्ट्रीय महिला आयोग	38-39

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

अध्याय 1

महिलाएं और भारतीय संविधान

1.1 भारतीय संविधान में 'संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' की परिकल्पना की गई है जिससे उसके समस्त नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता स्थापित हो सके।

1.2 भारत के संविधान द्वारा महिलाओं को जो मुख्य विशेषाधिकार प्रदत्त किए गए है वे निम्निलखित है:

- **विधि के समक्ष समता**

  अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण के साधारण सिद्धांत उपबंधित है।

समस्या

एक सरकारी कार्यालय में एक पद के लिए दो रिक्त पद थे। कनिका और संजय दोनों ने एक ही नौकरी के लिए आवेदन किया। दोनों का चयन हो गया। विभागाध्यक्ष ने कनिका से कहा कि वे उसे 20,000/- रूपये वेतन के रूप में देंगे और संजय को 25,000/- रूपये देंगे क्योंकि कनिका महिला होने के कारण संजय के बराबर काम नहीं कर सकती है।

समाधान

ऐसी परिस्थिति में कनिका न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है और न्यायालय से उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अधीन और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका फाइल करके अपने मूल (समान वेतन) अधिकार का संरक्षण करने का अनुरोध कर सकती है।

- **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध:**

  अनुच्छेद 15(1) और (2) में राष्ट्र को किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के किसी एक आधार पर या सभी के आधार पर विभेद नहीं करने का उपबंध किया गया है।

अनुच्छेद 15(3) में राज्य को स्त्रियों और बालकों के हितों का संरक्षण करने के लिए राज्य के लिए विशेष उपबंध उपबंधित किए गए हैं।

अनुच्छेद 15(4) के अधीन राज्य को, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के हितों और कल्याण के लिए और उनकी उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था सर्जित करने के लिए, सक्षम किया गया है।

समस्या

मनीष अनुसूचित जाति का है। उसने एक सरकारी विधि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया। महाविद्यालय का लिपिक एक पक्षपात करने वाला व्यक्ति है उसने मनीष के फार्म को नष्ट कर दिया जिससे कि वह महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र न हो सके।

समाधान

मनीष ने लिपिक के इस कृत्य के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज की। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर किया। लिपिक के कृत्य के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसका कृत्य अवैध, असंवैधानिक है और इससे संविधान के अनुच्छेद 15 का अतिक्रमण होता है।

- **अवसर की समानता:** (अनुच्छेद 16) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।
- राज्य अपनी नीति का पुरूष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार (अनुच्छेद 39(क)) और पुरूषों और स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा।
- **अनुच्छेद 39क** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतयाँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए।
- **अनुच्छेद 42** राज्य, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए, उपबंध करेगा।
- **मूल कर्तव्य: अनुच्छेद 51क(ङ)** में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक नागरिक ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।

शीला ने तारीख 1 मई, 2000 को एक बच्चे को जन्म दिया। उसके नियोजक महेश ने उसे तारीख 19 मई, 2000 से लेकर तारीख 1 अगस्त, 2000 तक पूरे वेतन के साथ छुट्टी मंजूर की। यदि महेश उस अवधि के लिए जिस अवधि में शीला ने कार्य नहीं किया था यदि वह उसका वेतन काट लेता तब उसे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (अनुच्छेद 42 के अधीन विशेष विधान) के अधीन दंडित किया जा सकता था और जुर्माना भी लगाया जा सकता था।

- **पंचायतों और नगर पालिका में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण:** अनुच्छेद 243 घ(3) और अनुच्छेद 243 न(3) महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं में कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जाएंगे। अनुच्छेद 243 घ(4) न (4) में यह उपबंध किया गया है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पद के कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

अध्याय 2

दं विधि और महिलाएं

2.1 भारतीय दं संहिता के अधीन शनाख्त अपराध (आईपीसी) (CRIMES IDENTIFIED UNDER THE INDIAN PENAL CODE (IPC))

i. अश्लीलता और अशिष्ट रूपण (धारा 292, 293 और 294)
ii. दहेज मृत्यु (धारा 304-ख)
iii. अम्ल हमला (एसि हमला) (धारा 326क और 326 ख)
iv. लैंगिक उत्पीड़न और महिला की लज्जा भंग करना (धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ और 509)
v. बलात्कार और लैंगिक हमला (धारा 376)
vi. क्रूरता (धारा 498-क)
vii. घरेलू हिंसा
viii. महिलाओं का व्यापार (Trafficking of Women)
ix. आन-बान (प्रतिष्ठा) के लिए हत्या (Honour Killing)
x. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
xi. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

2.2 अश्लील और अशिष्ट प्रदर्शन (OBSCENITY AND INDECENT REPRESENTATION)

- **धारा 292(आईपीसी), अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि-** किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र रूपण, आकृति या अन्य वस्तु, अश्लील मानी जाएगी यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रूचिकर है।

  जो कोई- किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र रूपण, आकृति या अश्लील वस्तु को, चाहे वह कुछ भी हो, बेचेगा, किराए पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा, या उसको किसी भी प्रकार प्रचालित करेगा, या उसे विक्रय, किराए, वितरण लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचेगा, उत्पादित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगा, जो कि इस धारा के अधीन एक अपराध है, उसे प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास

से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा।

- **धारा 294, अश्लील कार्य और गाने-** किसी सार्वजनिक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवांड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

2.2.1 स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (INDECENT REPRESENTATION OF WOMEN (PROHIBITION) ACT, 1987)

- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अधीन, यदि कोई व्यक्ति ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागजपत्र, पैकेजों आदि से जिसमें 'स्त्री का अशिष्ट रूपण' करके किसी का उत्पीड़न करता है तो वह कम से कम 2 वर्ष के दं का भागी होगा।

- धारा 6 के अनुसार, कोई व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि (Subsequent conviction) की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि छह माह से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंनीय होगा।

- धारा 7 (कंपनी द्वारा अपराध) में आगे और यह उपबंध किया गया है कि ऐसी कंपनियों में जहां किसी प्रकार का 'स्त्री अशिष्ट रूपण' (जैसे कि परिसरों में अश्लील विवरण प्रदर्शित किया जाना है) किया जाता है ऐसी कंपनियों को अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार उनको दंडित करने के लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

- **उपचार की प्रक्रिया-**

  - ✓ निकट के पुलिस थाने में शिकायत करें।

2.3 दहेज मृत्यु

मेघा का विवाह विजय से 5 मार्च को हुआ था, यह विवाह माता-पिता की मर्जी से हुआ था। तारीख 20 मार्च अर्थात् विवाह के ठीक 15 दिन के पश्चात् मेघा अपने मायके आई और रोने लगी। जब उसके माता पिता ने कारण पूछा तब उसने उनको बताया कि उसका पति और ससुराल वाले एक नई सेंट्रो कार की मांग कर रहे है और उसके मना करने पर उन्होंने दहेज की मांग की तथा उसे जबरदस्ती उसके वैवाहिक गृह से बाहर निकाल दिया और उससे कहा कि वह अपने मायके से लौटकर तभी आए जब विजय के लिए कार खरीद ले। यह एक दहेज की अवैध मांग है।

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) की धारा 2 के अधीन 'दहेज' को परिभाषित किया गया है इससे अभिप्रेत है ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जिसे विवाह के समय या उसके पूर्व एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया गया हो। नकद, सोना, कार या इसी प्रकार की अन्य संपत्ति की मांग करना दहेज है। दहेज देना, लेना या मांग करना या यहा तक कि उसका प्रचार करना एक अपराध है।

- **दहेज मृत्यु और प्रक्रियात्मक विधियां:**
    - दं संहिता प्रक्रिया 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) की धारा 174 में यदि कोई महिला विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर लेती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसका शव परीक्षण कराना आवश्यक है।
    - साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Evidence Act, 1872) में धारा 113-क अंत:स्थापित की गई है (यदि विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्नी आत्महत्या कर लेती है तब यह उपधारणा की जाएगी कि उसे भारतीय दं संहिता (Indian Penal Code) की धारा 498क के अनुसार उसके पति या पति के संबंधियों द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई है)।

राधा 16 वर्ष की है और 11वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में गुमशुम बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वह काफी निराश है। कक्षा के पश्चात् उसकी अध्यापिका ने उससे पूछा कि उसे कोई समस्या है। उसने अपनी अध्यापिका को बताया कि उसकी बहन सुधा का विवाह पीयूष के साथ हुआ था और विवाह वाले दिन सुधा के ससुराल वालों ने 15 तौले सोना और 3 लाख रूपये नकद देने की मांग की। उस समय से लेकर आज की तारीख तक वह निरंतर रूप से दहेज की मांग कर रहे है। राधा ने यह भी बताया कि केवल उसके पिता ही नौकरी करते हैं और अपना घर-बार चलाते हैं और उसके 4

भाई और बहने है और सुधा सबसे बड़ी है। उसके पिता कभी भी दहेज की मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं थे। तीन दिन पहले सुबह राधा के पिता को सुधा के ससुराल वालो ने टेलीफोन करके यह बताया कि रसोई में काम करते समय सुधा घातक रूप से जल गई और क्षतियों के कारण परिणामता उसकी मृत्यु हो गई। राधा की अध्यापिका ने उसे बताया कि यह एक दहेज मृत्यु का मामला है।

- भारतीय दं□ संहिता में धारा 304ख अंत:स्थापित करके 'दहेज मृत्यु' से संबंधित अपराध को उपबंधित किया गया है:
  - क. यदि किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा;
  - ख. सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हो जाती है;
  - ग. विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है;
  - घ. उसकी मृत्यु से पहले उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार ने क्रूरता की थी;
  - ङ. दहेज की किसी मांग के संबंध में।

- दं□पूर्वक कारावास की अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी।

➢ **उपचार की प्रक्रिया (ACID ATTACKS)**

- ✓ कोई भी व्यक्ति निकट के पुलिस थाने में शिकायत कर सकता है;
- ✓ *विवाह के 10 वर्ष के भीतर शिकायत कर सकता है;*
- ✓ सभी दहेज से संबंधित सभी अपराधों का, वधु को जलाकर हत्या करने के सिवाय, कुटुंब न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा।

2.4 अम्ल हमला

- दं□ विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित करके तारीख 2 अप्रैल, 2013 को भारतीय दं□ संहिता की धारा 326 का संशोधन किया गया। (एसि□ हिंसा के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कार्यवाही करने के लिए धारा 326क और 326ख को अंत:स्थापित किया गया है।

- **धारा 326क:** जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर एसि□ फेंककर या उसे एसि□ देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके, ऐसा कारित

करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है उनसे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करेगा या अंगविकार करेगा या जलाएगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या नि:शक्त बनाएगा या घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परंतु ऐसे जुर्माने पीडित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीडित को संदत्त किया जाएगा।

- **धारा 326-ख**: जो कोई, किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंगीकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या नि:शक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर एसिड फेंकेगा या फेंकने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को एसिड देगा या एसिड देने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

- **एसिड हमले के लिए प्रतिकर:** दं प्र संहिता में एक नई धारा 357ख अंत:स्थापित की गई है जो कि निम्नलिखित है:

''धारा 357क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर की रकम भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन पीडिता को जुर्माने की रकम को भुगतान करने के अतिरिक्त होगी''।

- **लैंगिक हमले/अन्य अपराधों की पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए प्रतिकर- वर्ष 2018 में** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने एक प्रतिकर योजना तैयार की है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए है:

क्रम सं	हानि या क्षति की विशिष्टयां	प्रतिकर (मुआवजा) की न्यूनतम सीमा	प्रतिकर (मुआवजा) की अधिकतम सीमा
1.	सामूहिक बलात्संग	5 लाख रूपये	10 लाख रूपये
2.	बलात्संग	4 लाख रूपये	7 लाख रूपये
3.	ऐसी गंभीर शारीरिक क्षति या मानसिक क्षति जिसमें पुर्नवास अपेक्षित है	1 लाख रूपये	2 लाख रूपये
4.	एसिड हमले की पीड़िता		
(क)	चेहरा विकृत होने की दशा में	7 लाख रूपये	8 लाख रूपये
(ख)	50 % से अधिक क्षति की दशा में	5 लाख रूपये	8 लाख रूपये
(ग)	50 % से कम क्षति की दशा में	3 लाख रूपये	5 लाख रूपये
(घ)	20 % से कम क्षति की दशा में	3 लाख रूपये	4 लाख रूपये

उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उक्त योजना का उपयोग लैंगिक दुरूपयोग की अप्राप्तवय पीड़ितों (minor victims) को प्रतिकर का अधिनिर्णय करते समय विशेष न्यायालय द्वारा इन दिशा-निर्देशों का उपयोग तब तक किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा नियम नहीं बनाएं जाते है।

- प्रतिकर (Compensation) के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कौन कर सकता है?

i. पीड़िता

ii. उसके आश्रित

iii. संबंधित क्षेत्र का एसएचओ (थाना अधिकारी)

- **निःशुल्क चिकित्सा उपचार: धारा 357ग** में यह उपबंध किया गया है कि सभी अस्पताल, (सार्वजनिक या प्राइवेट), से यह अपेक्षित है कि वे पीि□ता को प्राथमिक सहायता या चिकित्सा उपचार निःशुल्क प्रदान करेंगे।

➢ **उपचार की प्रक्रिया:**

- ✓ किसी महिला पर एसि□ हमले के बारे में निकट के पुलिस थाने में कोई भी व्यक्ति तुरंत शिकायत फाइल कर सकता है।
- ✓ शेष प्रक्रिया विधि के अनुसार की जाएगी।

2.5 लैंगिक उत्पीड़न किसी महिला की लज्जा भंग करना (SEXUAL HARASSMENT AND OUTRAGING THE MODESTY OF A WOMEN)

2.5.1 भारतीय दं□ संहिता की धारा 354 में लज्जा का संबंध महिलाओं से है। किसी महिला को खींचना, उसके कपड़ें उतारने का कार्य और उसके साथ उससे सहवास करने का अनुरोध/आशय को महिला की लज्जा भंग करने का कृत्य माना जाता है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा- इसमें विवक्षित है कि किसी स्त्री पर हमला किया गया हो और अभियुक्त ने उस महिला की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का निश्चित रूप से प्रयोग किया हो। वह कम से कम एक वर्ष की अवधि के कारावास से जिसे बढ़ाकर पांच वर्ष तक किया जा सकता है।

2.5.1 धारा 354क: लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment):

(1) ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात्

i. शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हों; या

ii. लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने; या

iii. लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने,

iv. किसी स्त्री की इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य दिखाने; या

v. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करने

वाला पुरूष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खं (i) या खं (ii) या खं (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दं त किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खं (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दं त किया जाएगा।

2.5.3 धारा 354ख: विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe)।

ऐसा कोई पुरूष, जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दं त किया जाएगा और जुर्माने से भी दं नीय होगा।

2.5.4 धारा 354ग: दृश्यरतिकता (Voyeurism)

ऐसा कोई पुरूष, जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों में जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखेगा या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दं त किया जाएगा और जुर्माने से भी दं नीय होगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दं त किया जाएगा और जुर्माने से भी दं नीय होगा।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''प्राइवेट कृत्य'' के अंतर्गत ताकने का ऐसा कोई कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है, जिसके संबंध में, परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां कि पी ता के

जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से □का जाता है अथवा जहां पीि□ता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है; या जहां पीि□ता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो इस प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2- जहां पीि□ता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है और जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा।

2.5.5 धारा 354घ: पीछा करना (Stalking)

1. ऐसा कोई पुरूष जो-
   i. किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है; या
   ii. जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्ररूप की इलेक्ट्रोनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मानीटर करता है;
   iii. किसी व्यक्ति को ऐसी रीति में देखता है या उसकी जासूसी करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति के मन में हिंसा का □र या खतरे की घंटी या परेशानी होती हो या ऐसे व्यक्ति की मानसिक शांति भंग होती हो; पीछा करने का अपराध करता है।

2. जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंि□त किया जाएगा और जुर्माने से भी दं□नीय होगा; और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंि□त किया जाएगा और जुर्माने से भी दं□नीय होगा।

2.5.6 धारा 509: जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या

ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा ऐसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से एकान्तता का अतिक्रमण करता है।

सीमा के बूटिक में अपने लिए एक पोशाक खरीदने के लिए गई। वह बूटिक के ट्रायल रूम में गई और जो पोशाक उसने पसंद की थी उसको पहनने लगी। ट्रायल रूम में छुपाकर एक कैमरा रखा गया था। कुछ दिन के बाद सीमा एक पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर अपनी नग्न फोटो देखकर परेशान हो गई। यह एक दृश्यरतिकता का मामला है और भारतीय दं□ संहिता की धारा 354 के अधीन दं□नीय है।

- **उपचार की प्रक्रिया:**
  - ✓ निकट के पुलिस थाने में कोई भी व्यक्ति तुरंत शिकायत दर्ज करें।
  - ✓ शेष प्रक्रिया विधि के अनुसार की जाएगी।

2.6 बलात्संग और लैंगिक हमला (RAPE AND SEXUAL ASSAULT)

- जब कोई अपराध करने वाला व्यक्ति किसी महिला के साथ जबरदस्ती लैंगिक कार्य करता है तो वह लैंगिक हमले में अंतर्ग्रस्त होता है। बलात्संग लैंगिक हमले के अंतर्गत यदि कोई पुरूष किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है तो बलात्संग कहा जाता है। बलात्संग एक घिनौना अपराध है किंतु कोई महिला/लड़की पुलिस को रिपोर्ट इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि वह यह महसूस करती है कि;
  - लोग उसके चरित्र के बारे में उल्टा सीधा कहेंगे और जो कुछ हुआ है उसके लिए उसे ही जिम्मेदार मानेंगे।
  - उसके परिवार की बदनामी होगी और कोई भी उसके साथ हुए हादसे पर विश्वास नहीं करेगा।

- बलात्संग का अपराध गठित करने के लिए सम्मति न होना काफी है। सम्मति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है इसका अर्थ है कि किसी महिला स्वैच्छा से विनिर्दिष्ट लैंगिक कार्य करने के लिए रजामंदी व्यक्त की है और इस बाबत कोई विवाद नहीं किया जा सकता है। लड़की का चरित्र और उसका पूर्व लैंगिक इतिहास जैसी बातें बलात्संग के मामले का विनिश्चय करते समय असंगत है।

- 18 वर्ष की आयु से नीचे किसी लड़की या किसी लड़के की सहमति के होते हुए भी कोई लैंगिक क्रियाकलाप कानूनी बलात्संग की श्रेणी में आता है।

- यहां तक कि किसी पति को भी बलात्संग का दोषी तब माना जा सकता है जब उसकी पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम हो।

- यदि कोई पुरूष जब वह यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है तब किसी महिला/लड़की के साथ मैथुन करता है तो यह भी बलात्संग है।

- तथापि, बलात्संग और लैंगिक हमले के अपराधों के संबंध में विधि बहुत सख्त है। दं□ विधि में ऐसे कुछ विशेष उपबंध है जिनके आधार पर न्याय प्राप्त करने के समय किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से पी□ता को संरक्षित किया गया है।

2.6.1 भारतीय दं□ संहिता की धारा 375, 375, 376क-घ

- **धारा 376क पी□ता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दं□।** अपराधी ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदं□ से दं□त किया जाएगा।

- **धारा 376ख पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन:** अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दं□त किया जाएगा और जुर्माने से भी दं□नीय होगा।

- **धारा 376ग प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन** (प्राधिकारी में प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध; या कोई लोक सेवक; या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारी शामिल है) वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से,

जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दं□त किया जाएगा और जुर्माने से भी दं□नीय होगा।

- **धारा 376घ सामूहिक बलात्संग।** अपराधी ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदं□ से दं□त किया जाएगा।

- **376ङ पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दं□।** पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों को आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदं□ से दं□त किया जाएगा।

- **उपचार की प्रक्रिया**
  - ✓ निकट के पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जाएगी।
  - ✓ वर्ष 2013 से (दं□ विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013), के अधीन यदि किसी महिला द्वारा लैंगिक हमले, उसकी लज्जा भंग करने या बलात्संग कारित या प्रयास करने की बाबत जब कोई जानकारी दी जाती है तब ऐसी जानकारी को किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।
  - ✓ पी□ता के पास यह अधिकार है कि हमले के आरंभ से अर्थात् पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट करने से लेकर मामले का अंतिम निर्णय आने तक किसी वकील द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा।
  - ✓ □क्टर अत्यंत प्राथमिकता के आधार पर पी□ता की चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। कोई भी अस्पताल उस पी□ता का चिकित्सीय परीक्षण करने से इंकार नहीं कर सकता है जो पुलिस द्वारा रेफर किए बिना अस्पताल आई हो।

मोबाइल फोनो में पेनिक बटन लगाना: हाल ही में मोबाइल फोन हैं□सेटों में 'पेनिक बटन और ग्लोबल पॉजिशिनिंग सिस्टम नियम, 2016' अधिसूचित किए गए है जिसकी वजह से महिलाएं अपने परिवार या पुलिस प्राधिकारियों को जो उनके समक्ष हिंसा की कोई स्थिति उत्पन्न होती है उसकी बाबत संकट संकेत भेज सकती है। इन नियमों के अनुसार सभी नए फोनो में आपातकालीन कॉल करने के लिए पेनिक बटन होगा और तारीख 1.1.2017 से भारत में सभी प्रकार के मोबाइल फोनो में पेनिक बटन सिस्टम लगा हुआ है।

2.7 क्रूरता (CRUELTY):

- इस कृत्य को दंत करने के पीछे उद्देश्य यह है कि दहेज की मांग के संबंध में महिला का पति या उसके रिश्ते नातेदार उसके साथ क्रूरता न कर सके। नवविवाहित वधुओं को अपने पति या ससुराल वालों की दहेज या अन्य किसी प्रकार की मांगों के कारण उसके साथ जो अत्याचार किया जाता है उस महिला की परिवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक आंदोलन आरंभ किया गया और सामाजिक बाध्यताओं के प्रभावी प्रतिपादन के कारण दहेज मृत्यु के मामलों का सामना करने के लिए दं संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1983 समाविष्ट किया गया है।

- भारतीय दं संहिता 1860 की धारा 498क के अधीन क्रूरता की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंत किया जाएगा और जुर्माने से भी दंनीय होगा।

  स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''क्रूरता'' निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

  (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है; या

  (ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरूद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीत करने को दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।

- **उपचार की प्रक्रिया:**
  - ✓ ऐसे किसी अपराध की पीता की ओर से किसी व्यक्ति या उसके नातेदार द्वारा निकट के पुलिस थाने में शिकायत फाइल करनी चाहिए।
  - ✓ शेष कार्यवाही विधि के अनुसार की जाएगी।

वर्षा का विवाह 1 वर्ष पहले हुआ था उसके ससुराल वाले और पति निरंतर रूप से उसके चरित्र के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे और उस पर हावी रहते थे तथा उसके माता पिता की कमजोर वित्तीय स्थिति के बारे में और विवाह में मूल्यावान उपहार और आभूषण न देने के लिए वर्षा को ताना मारते रहते थे। वर्षा एक पढ़ी-लिखी लड़की है किंतु उसे काम करने के लिए घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। इन वजहों से वर्षा लाक्षणिक अवसाद और आत्महत्या करने के विचारों से ग्रस्त हो गई।

वर्षा ने अपनी चचेरी बहन को इस बारे में बताया। सुमित्रा एक वकील है उसने उसको यह बताया कि उसके पति और उसके ससुराल वालो ने उसके साथ कभी भी मार पिटाई नहीं की है इसलिए वह यह नहीं जानती है कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाएं। सुमित्रा ने उसे बताया कि वह मानसिक क्रूरता झेल रही है जो कि धारा 498क के अधीन दं□नीय है।

- **<u>इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए</u>**

  - ✓ यदि किसी पुलिस थाने का थाना अधिकारी प्रथम रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार करता है तब पीि□ता पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक से मिल सकती है या लिखित में शिकायत की प्रति उन्हें भेज सकती है। यदि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब वह उस मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत फाइल कर सकती है जिसकी अधिकारिता के अधीन पुलिस थाना आता है।

  - ✓ राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 एवं राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी संपर्क कर सकती है।

2.8 घरेलू हिंसा (DOMESTIC VIOLENCE)

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) हिंसा और □र से मुक्त जीवन को मान्यता देता है तथा महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाया गया है।

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम द्वारा महिलाओं को परिवार के सदस्यों या नातेदारों द्वारा सभी प्रकार की घरेलू हिंसा और उत्पीड़न तथा शोषण से संरक्षण प्रदान किया गया है। यह अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था और अक्तूबर 2006 से इसे कार्यान्वित किया गया था।

- इस अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा व्यापक है। अधिनियम की धारा 3 के अधीन दुरूपयोग निम्न प्रकार है;
    i. शारीरिक दुरूपयोग (Physical abuse)
    ii. लैंगिक दुरूपयोग (Sexual abuse)
    iii. मौखिक और भावनात्मक दुरूपयोग (Verbal and emotional abuse and)
    iv. आर्थिक दुरूपयोग (Economic abuse)

- अधिनियम में घरेलू संबंधियों की परिभाषा का विस्तार किया गया है इसमें माता, पत्नी, ननद, पुत्रियां, और पुत्र वधु शामिल है।
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम द्वारा महिला को तुरंत भरण पोषण और मुआवजें का दांवा करने के लिए सशक्त किया गया है। अधिनियम द्वारा महिलाओं को जो अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है वह है वाससुविधा (secure accommodation) की सुविधा।

- घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन महिलाओं को निम्निलखित अधिकार प्रदान किए गए हैं:
    i. सांझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार
    ii. आदेश जारी करवाने का अधिकार, संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक राहत, बालकों की अभिरक्षा के लिए आदेश, प्रतिकर आदेश, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश।
    iii. अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों द्वारा अनुदत्त अनुतोष अभिप्राप्त करने का अधिकार।

- **प्रत्यर्थी पर अधिरोपित दायित्व और निर्बंधन (Liabilities and Restrictions Imposed Upon the Respondent):**
    i. उसे उसके विरूद्ध जारी किए गए संरक्षण और निवास आदेश में यथाअंर्तविष्ट कतिपय निर्बंधनों (certain restrictions) के अध्यधीन किया जा सकता है।
    ii. प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए दायी बनाया जा सकता है और वह प्रतिकर आदेश में यथानिदेशित नुकसानियों के प्रतिकर का भी संदाय करेगा।
    iii. अभिरक्षा आदेश में यथाविनिर्दिष्ट व्यथित व्यक्ति के बालक या बालकों की अभिरक्षा की बाबत न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था का पालन करेगा।

- **शिकायत दायर करने की प्रक्रिया और न्यायालय का कर्तव्य (धारा 12-29)**

i. व्यथित व्यक्ति या अपराध का कोई अन्य साक्षी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है।

ii. मजिस्ट्रेट अधिकतम दो दिन की अवधि या मजिस्ट्रेट द्वारा यथाअनुज्ञात आगे और ऐसे युक्तियुक्त समयावधि के भीतर संरक्षण अधिकारियों को सुनवाई की तारीख की सूचना देगा।

iii. न्यायालय को पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर मामले का निपटारा करना होगा।

iv. यदि मजिस्ट्रेट यह पाता है कि शिकायत वास्तविक है तब वह प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्त रूप से सलाह लेने का निदेश कर सकता है।

v. यह निदेश दे सकता है कि महिला को निवास स्थान से या उसके किसी भाग से बेदखल नहीं किया जाएगा।

vi. संरक्षण अधिकारी आदेश पारित कर सकता है जिसमें महिला को संरक्षण प्रदान करने का निदेश किया गया हो और वह तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि व्यथित पक्षकार मुक्त करने का आवेदन नहीं करता है।

vii. घरेलू हिंसा के कारण व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति के किसी बालक द्वारा कोई व्यय उपगत किए गए है या उन्हें हानि हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए आर्थिक राहत मंजूर करेगा।

viii. व्यथित व्यक्ति किसी बालक या बालकों के लिए अभिरक्षा आदेश मंजूर करेगा।

ix. घरेलू हिंसा के कारण जो क्षतियां, जिसमें मानसिक यातना और भावनात्मक हानि भी शामिल है, के लिए मुआवजा/नुकसानी। व्यथित व्यक्ति से किसी आवेदन को प्राप्त करने

के पश्चात् यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है तब वह लिखित में कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी आदेश में परिवर्तन, उपातंरण या अभिखं□न कर सकता है।

x. भारतीय दं□ संहिता की धारा 498क के अधीन शिकायत भी फाइल की जा सकती है।

2.9 महिलाओं का व्यापार (TRAFFICKING OF WOMAN)

- महिलाओं और बालकों के व्यापार के अंतर्गत उन्हें जबरदस्ती मजदूरी या जबरदस्ती मैथुन करने की दशा में रखना है।
- अनैतिक रूप से व्यापार करने वाले व्यक्ति जबरदस्ती किसी महिला और बालक को लैंगिक रूप से या आर्थिक रूप से दमन और उनका शोषण करने की स्थिति में रहने के लिए मजबूर करते हैं तथा उन्हें अन्य अवैध क्रियाकलापों जैसे कि मिथ्या विवाह, मिथ्या दत्तकग्रहण, घरेलू मजदूरी और सभी प्रकार के अवैध रोजगार में उन्हें □केल देते हैं।

- मानवीय व्यापार के कई पहलुओं के संबंध में कार्यवाही करने के लिए भारतीय दं□ संहिता में विभिन्न उपबंध किए गए है जैसे कि:

  धारा 363 क (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण का विलांगीकरण); **धारा 366क** (लैंगिक शोषण के लिए किसी अप्राप्तवय लड़की का उपापन); **धारा 370** (दुर्व्यापार)

- **धारा 370-** जो कोई, शोषण के प्रयोजन के लिए, (क) धमकियों का प्रयोग करके; या (ख) बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रताड़ना का प्रयोग करके; या (ग) अपहरण द्वारा; या (घ) कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा; या (ङ) शक्ति का दुरूपयोग करके; या (च) उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है, या गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है।

2.9.1 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (THE IMMORAL TRAFFIC (PREVENTION) ACT, 1956**)**

अधिनियम की धारा 5 में किसी व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपाप्त करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न करेगा, के लिए दंडित करने का उपबंध किया गया है। यदि जिस व्यक्ति की बाबत अपराध कारित किया गया है वह अवयस्क है तो इस उपधारा में उपबंधित दं सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए और चौदह वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास तक का होगा।

- **उपचार की प्रक्रिया**
  - ✓ निकट के पुलिस थाने में पीडित या नातेदारों द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

2.10 प्रतिष्ठा के लिए हत्या (HONOUR KILLING)

- प्रतिष्ठा के लिए हत्या या बदनामी से बचने के लिए परिवार के किसी सदस्य की परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बदनामी से बचने के लिए की गई हत्या है, यह हत्या अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस विश्वास के कारण की जाती है कि पीडित ने परिवार का नाम बदनाम किया है या बेइज्जती की है, या समुदाय या किसी धर्म का अतिक्रमण किया है, सामान्यतया मां-बाप द्वारा तय की गई शादी न करने का भी हत्या करने का एक कारण होता है, ऐसे संबंध बनाएं हुए हो जिसका अनुमोदन परिवार नहीं करता है, विवाह-इतर (sex outside marriage) मैथुन, बलात्संग का शिकार होना, ऐसे कपड़ें पहनना जिन्हें अनुचित माना जाता है, इतरलिंगकामी संबंधों (non-heterosexual relations) में लिप्त हो या धर्म छोड़ दिया हो, ऐसी हत्याओं को प्रतिष्ठा के लिए की गई हत्या कहा जाता है।

- लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006), उच्चतम न्यायालय ने यह राय व्यक्त की है कि 'प्रतिष्ठा की हत्या कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है और ऐसी हत्याएं पूर्ण रूप से अवैध है'।

- शक्तिवाहिनी बनाम भारत संघ (2018), वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मतभेद किया था कि दो सहमत व्यक्तियों के बीच विवाह में तथाकथित खाप पंचायतों या गांव के बड़ें लोगों की जमात द्वारा उन लोगों को बुलाना और दंडित करना अवैध है।

- **उपचार की प्रक्रिया**
  - ✓ निकट के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें।

2.11 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES (POCSO) ACT, 2012)

- इस अधिनियम को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने तथा न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर बालकों के हितों का रक्षोपाय करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस नियम को विरचित करके बालकों के अनुरूप रिर्पोटिंग, साक्ष्य अभिलिखित करना, अन्वेषण और अभिहित विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का त्वरित विचारण की प्रणाली बनाई गई है। अधिनियम में लैंगिक दुरूपयोग के लिए उकसाने को अपराध माना गया है।

- **अधिनियम के अधीन अपराध जिसमें निम्नलिखित शामिल है:**

  i. प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative Sexual Assault): कोई व्यक्ति अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है।

  ii. लैंगिक हमला (Sexual Assault): जो कोई, लैंगिक आशय से बालक को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श कराता है।

  iii. लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment): कोई व्यक्ति, ऐसी लैंगिक आभासी टिप्पणी करता है, ऐसा कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है आदि।

  iv. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (Child Pornography): अश्लीलता की बाबत अधिनियम में ऐसे अश्लील वस्तुओं को देखना या संग्रहित करना अपराध है जिनमें बालक शामिल है।

  v. गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला/गुरूतर लैंगिक हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault/ Aggravated Sexual Assault)

- **लिंग तटस्थ विधि:** यह अधिनियम लिंग तटस्थ है **(Gender Neutral)**
- **बालकों के अनुरूप प्रक्रिया:** अधिनियम में विभिन्न प्रक्रियात्मक सुधारों का भी उपबंध किया गया है जिससे विचारण की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से बालकों के लिए आसान हो गई है।
- **बाल कल्याण समिति (सी□ब्ल्यूसी):** अधिनियम के अधीन प्रत्येक मामले में पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति को जानकारी देने के लिए कर्तव्य बाध्य है। बाल कल्याण समिति बालक के लिए सहायता करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जो कि बालकों के मनोसामाजिक भलाई के लिए भी जिम्मेदार होगा। सहायता करने वाला व्यक्ति पुलिस से भी संपर्क बनाए रखेगा और बालक और बालक के परिवार को मामले में हुई प्रगति के बारे में सूचित करता रहेगा।
- **उपचार की प्रक्रिया**
  - ✓ कोई भी व्यक्ति जिसमें बालक भी शामिल है (जिसकी आयु 18 वर्ष से नीचे है) वह विशेष किशोर पुलिस इकाई/स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट कर सके।

2.12. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (SEXUAL HARASSMENT OF WOMAN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013)

- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

- यह अधिनियम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997 वाले मामले में और महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए हुए सम्मेलन में अधिकथित दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

- **लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment)- अधिनियम की धारा-2(□)** में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को एक ऐसे कृत्य या व्यवहार के ऐसे रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी कर्मकार महिला को शारीरिक, भावात्मक या वित्तीय सुरक्षा और संरक्षण से समझौता करने का

आग्रह किया जाता है। विधिक रूप से लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत ऐसा अवांछनीय कार्य या निम्न प्रकार का व्यवहार है:

i. शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या
ii. लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या
iii. लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना; या
iv. अश्लील साहित्य दिखाना; या
v. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक आचरण करना;

- **कर्मचारी (Employee), धारा-2(च):** महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अधीन किसी 'कर्मचारी' की परिभाषा काफी व्यापक है। कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हैं या नहीं।
- **कार्यस्थल (Workplace), धारा-2(ण):** इस अधिनियम में एक विस्तारित कार्यस्तर की धारणा को पुर:स्थापित किया गया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में 'कार्यस्थल' के अंतर्गत ऐसा कोई स्थान जहां पर नियोजन के अनुक्रम के दौरान कर्मचारी आते जाते हैं जिसमें नियोजक द्वारा नियोजन स्थल तक आने जाने के प्रयोजन के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई है। कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवांए या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है।

- **परिवाद समिति (Complaints Committee):**

i. आंतरिक समिति (Internal Committee): महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में यह अपेक्षा की गई है कि दस या अधिक कर्मचारियों के किसी संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखा में नियोजक एक आंतरिक परिवाद समिति लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित परिवादों की सुनवाई और प्रतितोष प्रदान करने के लिए गठित करेगा।

ii. स्थानीय समिति (Local Committee): निरसन और संशोधनकारी अधिनियम, 2016 के धारा 19 के अनुसार जिसके द्वारा स्थानीय परिवाद समिति के नाम को बदलकर स्थानीय समिति किया गया है और जहां आंतरिक समिति का गठन नहीं किया गया है तथा ऐसे स्थापनों में जहां कर्मचारियों की संख्या दस से कम या नियोजक के विरूद्ध यदि शिकायत की गई है वहां ऐसे असंगठित क्षेत्र या स्थापनों से लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का अन्वेषण और प्रतितोष के लिए जिला स्तर पर राज्य सरकार 'स्थानीय समिति' का गठन करेगी।

- **परिवाद प्रक्रिया (Complaint Process):**

i. घटना की तारीख से तीन माह के भीतर व्यथित महिला लिखित में शिकायत करेगी। कतिपय परिस्थितियों में तीन माह और अवधि के लिए समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

ii. शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति प्रत्यर्थी को लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसार या उनके न होने पर अधिनियम के अधीन विरचित किए गए नियमों के अनुसार जांच प्रारंभ करेगी।

iii. 90 दिन की अवधि के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए।

iv. यदि आंतरिक परिवाद समिति यह पाती है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध अभिकथन साबित हो गए है तो वह नियोजक को एक रिपोर्ट निम्नलिखित के लिए प्रस्तुत करेगी:

(क) कदाचार के रूप में लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई की जाएं।

(ख) व्यथित महिला या उसके विधिक वारिसों को दी जाने वाली रकम जो उपयुक्त मानी जाए ऐसी राशि की कटौती प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से की जाएगी।

v. नियोजक को 60 दिन के भीतर इन सुझावों पर अवश्य काम करना चाहिए।

vi. जांच आरंभ करने से पहले यदि आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति को व्यथित महिला से यह अनुरोध प्राप्त होता है कि पक्षकारों के बीच सुलह करने के संबंध में कार्यवाही की जाए। तथापि, ऐसी सुलह के आधार पर धनी संबंधी समझौता नहीं किया जाएगा।

vii. यदि आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति की राय है कि द्वेषपूर्ण या झूठी शिकायत की गई है तो वह लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता पर शास्ति उदगृहित करेगी। तथापि, मात्र शिकायत को साबित करने की असमर्थता के कारण इस उपबंध के अधीन कार्रवाई नहीं की जाएगी।

- **अंतरिम राहत के लिए उपबंध, धारा 12**

✓ पीडित कर्मचारी के लिखित अनुरोध पर जांच के लंबित रहने के दौरान कानून द्वारा विहित स्थानांतरण या अन्य उचित राहत के रूप में अंतरिम राहत प्रदान करने का उपबंध किया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

अध्याय 3

महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध

(CYBER CRIMES AGAINST WOMEN)

3.1 सूचना प्रौद्योगिकी ने इंटरनेट के एक नए संसार में, कारोबार, नेटवर्किंग के रूप में मार्ग प्रशस्त किया है और लागत को कम किया है, संव्यवहार की प्रणाली में आसानी से त्वरित प्रवीणता और समय बचने के कारण आर्थिक क्रियाकलापों में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। विभिन्न अपराधी, हैकर्स और क्रेकर्स ने इंटरनेट के खातों के साथ हस्तक्षेप करने रास्ते और उपाय भी तलाश कर लिए है और वे कंप्यूटर प्रणाली के उपयोगकर्ता तक अपराधिकृत रूप से पहुंच बनाने में सफल भी हुए है तथा उन्होंने उपयोगी □ाटा भी चोरी कर लिया है।

3.2 साधारण रूप से साइबर अपराध से अभिप्रेत है 'ऐसा कोई विधि विरूद्ध कार्य जहां कंप्यूटर या संसूचना युक्ति या कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग अपराध घटित करने को सुकर बनाने के लिए किया जाता है'। नीचे साइबर अपराधों से संबंधित कुछ अपराधों की सूची दी गई है और उनके संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। यह शिकायतों की बेहतर रिर्पोटिंग को सुकर बनाने के लिए है।

क. ईमेल के माध्यम से उत्पीड़न (Harassment through e-mails): ईमेल के माध्यम से उत्पीड़न के अंतर्गत ब्लैकमेल करना, धमकी देना और अनाम नामों से निरंतर रूप से प्रेमपत्र भेजना या परेशान करने वाली मेल भेजना है।

ख. साइबर पीछा करना (Cyber stalking): इंटरनेट के अनाम (anonymity of internet) रहने के कारण पीछा करने वाले (Stalkers) मजबूत हुए हैं। पीछा करने वाला व्यक्ति धरती के दूसरे सिरे पर हो सकता है या कोई पड़ोसी हो सकता है या कोई निकट का संबंधी हो सकता है। इसके अंतर्गत संदेश (कभी धमकी देना) पोस्ट करके इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति की उन साइटों पर जाना जिन साइटों को वह व्यक्ति देखता है, पी□ित जिन बुलेटिन बो□ को अकसर खोलता है, पी□ित जिस चैटरूम पर जाता है उन पर ईमेल आदि निरंतर रूप से अधिक संख्या में भेजता है। साधारण रूप से पीछा करने वाले का आशय भावात्मक रूप से परेशान करने का होता है और उसकी संसूचना का प्रयोजन विधिसम्मत नहीं होता है।

रीतू कोहली का मामला: सरकार के लिए खतरे की घंटी

रीतू कोहली का मामला भारत में रिपोर्ट किया गया साइबर पीछा करने का पहला मामला है। पीड़िता ने उस व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस में शिकायत की जो उसकी आईडेंटिटी (पासवर्ड) का उपयोग करके इंटरनेट पर चैट करता था। रीतू ने आगे यह भी शिकायत की कि अपराध कारित करने वाला व्यक्ति ऑनलाइन पर उसका पता देता है और अश्लील भाषा का प्रयोग करता है। उसके संपर्क ब्यौरे लीक हो जाने के कारण उसे असमय कई कॉल आती थी। परिणामतः 'आईपी' पते का पता लगाया गया और पुलिस ने पूरे मामले का अन्वेषण किया और अंततः अपराधी मनीष कथूरिया को गिरफ्तार कर लिया।

ग. **साइबर बदनामी (Cyber defamation):** साइबर बदनामी को साइबर स्मिरिंग (Cyber smearing) भी कहा जाता है। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के नाम को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आशयपूर्वक बदनाम करना। साइबर बदनामी कंप्यूटर/या इंटरनेट की सहायता से की जाती है। इसे किसी दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति की धमकी माना जाता है।

घ. **बालक अश्लीलता (Child pornography):** कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 67ख में यह उपबंध किया गया है कि अश्लील या अभद्र या कामुकता व्यक्त करने वाले तरीकों में बालकों का चित्रण करने वाली सामग्री का पाठ या प्रकाशन दंडनीय है।

ङ. **साइबर के माध्यम से तंग करना (Cyber bullying):** इलैक्ट्रोनिक या संसूचना युक्तियों जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि के उपयोग के माध्यम से अपराध या तंग करना है।

च. **साइबर ग्रुमिंग (Cyber grooming):** साइबर ग्रुमिंग वह होती है जब कोई व्यक्ति किसी नवयुवक/नवयुवती के साथ ऑनलाइन पर संबंध निर्मित करके और चालाकी से उस पर लैंगिक कार्य करने के लिए दवाब बनाता है।

3.3 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अध्याय XI में कंप्यूटर स्रोत के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधों के संबंध में कार्यवाही करने की बाबत उपबंध किए गए है।

- **धारा 65** कंप्यूटर प्रणाली की हैकिंग करने के संबंध में कार्यवाही
- **धारा 66** इलैक्ट्रोनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या सूचना देने के संबंध में कार्यवाही।

- **धारा 67** संरक्षित प्रणाली तक पहुंच के लिए कार्यवाही।
- **धारा 70** गोपनीयता और निजता के भंग होने के संबंध में कार्यवाही।

3.4 उपचार की प्रक्रिया:

- ✓ साइबर अपराध की दशा में पीि□त को निकट के साइबर प्रकोष्ठ या पुलिस थाने से संपर्क करना चाहिए।
- ✓ नेश्नल साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) के माध्यम से अनाम शिकायत भी फाइल की जा सकती है।
- ✓ साइबर अपराध कारित करने की अभिकथित शिकायत फाइल करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य प्रदान किए जाने चाहिए:
  - हैकिंग के मामले में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए:
    सर्वर लोग।
    - ❖ यदि आपकी वेब साइट को विकृत किया गया है तब विकृत वेब पेज की सॉफ्ट कॉपी और हार्□ कॉपी दी जानी चाहिए।
    - ❖ यदि आपके सर्वर या कंप्यूटर या किसी अन्य नेटवर्क उपकरण के आकड़े चोरी किए गए है तब मूल आकड़ों और चोरी किए गए आकड़ों की सॉफ्ट कॉपी आवश्यक है।
    - ❖ पहुंच नियंत्रण प्रणाली (Access control mechanism) के ब्यौरे अर्थात् किसने चोरी की गई प्रणाली तक जो पहुंच की है वह किस प्रकार की है।
    - ❖ संदिग्धों की सूची यदि कोई हो।
    - ❖ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर से संबंधित सभी सुसंगत जानकारी-
      - ○ प्रणाली से क्या चोरी किया गया है?
      - ○ प्रणाली से किसने चोरी की होगी?
      - ○ प्रणाली से कब चोरी की गई थी?
      - ○ प्रणाली से चोरी क्यों की गई है?
      - ○ नेटवर्क से जिस प्रणाली को लक्ष्य बनाया गया है उस पर इस प्रकार हैकिंग-पहचान का असर क्या है?
      - ○ हैकिंग द्वारा कितने प्रणालियों से चोरी की गई है?

- यदि ईमेल का दुरूपयोग, जैसे कि अश्लील ईमेल आदि, का दुरूपयोग किया गया है तब निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाएगी:
    - ❖ अफें□ग ईमेल के व्यापक है□र्स का सार और अफें□ग ईमेल की सॉफ्ट कॉपी और हा□ कॉपी भी दी जाएगी।
    - ❖ अपनी ईमेल बॉक्स से अफें□ग ईमेल को □िलीट न करे।
    - ❖ अपने कंप्यूटर की हा□ ड्राइव में अफें□ग ईमेल की कॉपी को सेव कर ले।

- **<u>ऑनलाइन सुरक्षा के कुछ उपाय</u>**

    - ✓ झूठे ईमेल संदेशों पर नजर बनाएं रखें।
    - ✓ ऐसे ईमेल संदेशों का उत्तर न दे जिनमें आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है।
    - ✓ व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए उपयोग की जाने वाली संदिग्ध वेबसाइटों को हटा दें।
    - ✓ वेबसाइट और सॉफ्टवेयर पर निजता नीतियों पर ध्यान दें।
    - ✓ अपने ईमेल पते की सुरक्षा करें।
    - ✓ मजबूत पासव□ बनाएं।

अध्याय 4

महिला और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार

(WOMEN AND THE REPRODUCTIVE HEALTH RIGHTS)

4.1 गर्भपात या गर्भ का चिकित्सीय समापन (ABORTION OR TERMINATION OF PREGNANCY)

- भारतीय दं□ संहिता, 1860 के ससुंगत उपबंध-

  (1) धारा 312: गर्भपात कारित करना

  (2)धारा313: स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना।

  (जो कोई स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करता है वह दस वर्ष के कारावास और जुर्माने से दं□ित होगा)

- तथापि, ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती है जिनमें □ाक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात करना वैध है यदि:

  (क) गर्भ के बने रहने से स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ेगा अथवा उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति जोखिम होगी।

  (ख) बलात्संग द्वारा गर्भधारण हुआ है; या

  (ग) यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह गंभीर रूप से विकलांग हो सकता है।

4.2 गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (THE MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY ACT, 1971)

- इस अधिनियम में कतिपय गर्भ की समाप्ति और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायियों द्वारा गर्भ समाप्त करने की बाबत उपबंध किए गए हैं।
- जबरदस्ती किसी स्त्री के गर्भ को समाप्त करना अवैध है।
- गर्भपात तब वैध है जब विधि के अनुसार ऐसा किया जाता है।
- गर्भपात को केवल सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा प्राधिकृत अस्पताल में किया जा सकता है।
- यदि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गर्भ का समापन किया गया है तब ऐसे किसी अपराध के लिए कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी दोषी नहीं होगा।

विवाह के तीन वर्ष पश्चात् प्रियंका गर्भवती हुई। □क्टर ने उसे बताया कि उसे गर्भ से संबंधित कुछ समस्या है। गर्भ धारण करने के 13 सप्ताह के पश्चात् भ्रूण की बाबत यह निदान किया गया कि उसे कुछ आनुवंशिकी अप्रसामान्यता है। इस अप्रसामान्यता के कारण बालक को गंभीर मानसिक समस्या का सामना करना होगा और यदि वह जीवित भी रह जाता है तब उसकी माता का जीवन जोखिम में पड़ेगा। प्रियंका की माता उसके गर्भ का समापन कराना चाहती है।

4.3 स्त्री लिंग भ्रूणवध और भ्रूण हत्या (FEMALE INFANTICIDE AND FOETICIDE)

राधा की दूसरे गर्भाधान के दौरान गर्भ में आनुवंशिक अप्रसामान्यताओं, यदि कोई है, का पता लगाने के लिए अल्ट्रासांउ□ किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान उसके पति ने गोपनीय रूप से □क्टर से भ्रूण के लिंग के बारे में पूछा था। जब □क्टर ने शिशु के लिंग के बारे में उसे बताने से इंकार कर दिया तब उसने उसे कुछ रकम दी और उससे कहा कि वह मादा शिशु नहीं चाहता है और यदि भ्रूण मादा है तो वह अपनी पत्नी का गर्भपात कराना चाहता है।

□क्टर ने उसे बताया कि भ्रूण के नर या मादा होने के बारे में पता लगाना एक अपराध है और वह उसे शिशु के नर या मादा होने के बारे में नहीं बताएगा। □क्टर ने उसे यह भी कहा कि वह लड़के और लड़की के बीच फर्क न करे और यह दोनों की मासूम होते है तथा लड़कियां लड़कों से किसी भी तरह कम नहीं है।

- अंतरराष्ट्रीय रूप से मादा भ्रूण हत्या होती है।
- गर्भ के अंदर भ्रूण को इसलिए नष्ट किया जाता है क्योंकि इसकी संभावना होती है कि एक मादा शिशु पैदा होगी, यही मादा भ्रूण हत्या है।
- मादा भ्रूण हत्या में अंर्तग्रस्त सभी व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि जब किसी मादा शिशु के गर्भ को नष्ट कर दिया जाता है तब भविष्य की एक महिला की क्रूरतापूर्वक हत्या हो जाती है और इसकी वजह से स्त्री पुरूष का अनुपात प्रभावित होता है।
- इसके अलावा जन्म लेने के तुरंत पश्चात् मादा शिशुओं को समाप्त करने के लिए जिस सक्रिय तरीका का उपयोग किया जाता है उससे ऐसे शिशुओं की उपेक्षा और उनके साथ विभेद होता है तथा लिंग चयनित गर्भपात का यह अर्थ भी है कि इसकी वजह से प्रत्येक वर्ष कई मादा शिशुओं की हत्या हो जाती है।

अध्याय 5

प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश

(PROCEDURAL GUIDELINES)

5.1 नि:शुल्क विधिक सहायता और सेवाएं (FREE LEGAL AID AND SERVICES)

अनिता निर्माण स्थल पर मजदूरी करती थी। जब वह काम कर रही थी तब वह प्रथम तल से नीचे गिर गई। उसने अपने पैर और हाथ की हड्डी टूट जाने के कारण मुआवजें का दावा किया। ठेकेदार द्वारा मुआवजें का भुगतान करने से इंकार करने पर वह असहाय हो गई और चुपचाप बैठ गई। अनिता का पति सुरेश ड्राइवर के रूप में वकील श्री तारिक के साथ काम करता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि अनिता न्यायालय में मुआवजें के लिए दावा कर सकती है।

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-क में समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का उपबंध किया गया है।

- वर्ष 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियमित किया गया था (जो तारीख 9 नवंबर, 1995 को प्रवृत्त हुआ) इस अधिनियम का उद्देश्य पूरे देश में एक समान नेटवर्क स्थापित करने का था जिसके द्वारा समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सहायता प्रदान की जा सके।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में राज्य के लिए यह बाध्यकारी है कि वह विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करे और सभी को समान अवसरों के आधार पर न्याय का संवर्धन करने के लिए एक विधिक प्रणाली की व्यवस्था करे।

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित किया गया है और इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवाओं की निगरानी और क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए इसे स्थापित किया गया है।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के मुख्य संरक्षक है।

- प्रत्येक राज्य के हर एक उच्च न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण और विधिक सेवा समिति गठित की गई है।

- इसके अलावा प्रत्येक जिला स्तर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ब्लॉक विधिक सेवा समितियों का गठन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के नीतियों और निर्देशों को प्रभावी करने तथा जनता को नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान करने और राज्यों में लोक अदालतें आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है।

- राज्य और जिलें के मुख्य न्यायाधीश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष है और जिला या ब्लॉक के न्यायिक अधिकारी जिला और ब्लॉक विधिक सेवा समितियों के अध्यक्ष हैं।

5.1.1 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कृत्य (Functions of National Legal Services Authority)

(क) पात्र व्यक्ति को नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है।

(ख) नि:शुल्क विधिक सहायता सेवा का लाभ उठाने के लिए पात्र निम्नलिखित व्यक्तियों की पहचान की गई है:

- ❖ महिलाएं और बालक;
- ❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति;
- ❖ औद्योगिक कर्मचारी;
- ❖ बड़ी विपदा/हिंसा और प्राकृतिक आपदा के पीि□त;
- ❖ विकलांग व्यक्ति;
- ❖ अभिरक्षा में के व्यक्ति;
- ❖ ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000/-रूपये से अधिक नहीं है;
- ❖ मानवीय दुर्व्यापार आदि के पीि□त

5.1.2 नि:शुल्क विधिक सहायता और सेवाओं के अंतर्गत

(क) विधिक कार्यवाहियों के लिए एक अधिवक्ता प्रदान करना,

(ख) विधिक कार्यवाहियों के संबंध में उपगत न्यायालय फीस/प्रक्रिया फीस या सभी अन्य प्रभारों का भुगतान करना,

(ग) अपील/पेपर पुस्तिकाएं, जिसमें विधिक प्रक्रियाओं में दस्तावेजों का प्रकाशन और अनुवाद शामिल है, तैयार करना,

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने ऐसे विचारणाधीन व्यक्तियों को अर्थपूर्ण विधिक सहायता प्रदान करने की, जिनके पास स्रोतों की कमी है और वह अपनी प्रतिरक्षा अन्य नि:शक्तता के कारण किसी काउंसेल को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, एक विधिक सहायता परिषद् भी आरंभ किया।

- अब ऐसी विधिक सहायता परिषदों को प्रत्येक न्यायालय मजिस्ट्रेट के साथ संबद्ध कर दिया गया है जिससे कि पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय में पेश करने के प्रक्रम से ही जो किसी कांउसेल को नियुक्त करने में असमर्थ है ऐसे व्यक्तियों की सहायता और प्रतिरक्षा की जा सके।

- लक्ष्य समूह ने यह भी सूचित किया है कि एनएएलएसए ने प्रवासियों द्वारा सौहार्दपूर्ण रूप से अपने विवादों का समाधान करने के लिए उन्हें दिशा-निर्देश और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बातचीत और सुलह के माध्यम से विवादों का समाधान करने के लिए एक परामर्श और सुलह योजना भी विरचित की है।

- देश के सभी जिलों में परामर्शी और सुलह केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

5.2 गिरफ्तार की गई महिलाओं के अधिकार (RIGHT OF ARRESTED WOMEN)

रात को करीब साढ़े आठ बजे श्रीमती माला अपने घर में रात का भोजन कर रही थी उसी समय कुछ पुलिस वालों ने उसका दरवाजा खटखटाया और उसे बताया कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उसके विरूद्ध के शिकायत दर्ज की गई है, और उन्होंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पुलिस थाने लाए। उसकी बहन उसके साथ जाना चाहती थी किंतु पुलिस वालों ने उसे साथ ले जाने से इंकार कर दिया।

- प्रत्येक महिला को गिरफ्तारी से संबंधित कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है जिससे कि अभिरक्षा में वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

i. महिला को उसको गिरफ्तार करने के आधारों के बारे में सूचित करना और मामले में उसके विरूद्ध आरोपों की पूरी विशिष्टयों के तथ्यों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है।

ii. यदि वारंट के अधीन किसी महिला को गिरफ्तार किया गया है तब उसके पास वारंट देखने का अधिकार है (दं प्रक्रिया संहिता धारा 75)।

iii. कथन अभिलिखित करते समय निजता का अधिकार।

iv. महिलाओं के पास अपनी रूचि के कानूनी सलाहकार से परामर्श और उसके द्वारा प्रतिरक्षा करने का अधिकार है।

v. अभियुक्त को गिरफ्तार करने के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

vi. गिरफ्तार करने वाले पुलिस वाले का यह कर्तव्य है कि वह महिला की गिरफ्तारी के बारे में या तो उसके नातेदारों या उसके मित्रों को सूचित करे।

vii. किसी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय किसी महिला को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

viii. किसी महिला को यथासंभव किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में अभिरक्षा में लिया जा सकता है और उचित गरिमा के साथ गिरफ्तारी की जानी चाहिए।

ix. किसी महिला किशोरी को गिरफ्तार करते समय उसकी पिटाई नहीं की जानी चाहिए।

x. चिकित्सा अधिकारी के साधारण या विशेष आदेश के अधीन मैट्रर्न द्वारा महिला कैदियों का तलाशी परीक्षण किया जाएगा।

xi. महिला कैदियों के पास यह अधिकार है कि वह पुरूष कैदियों से अलग रहे।

xii. सभी कैदियों के पास जैसे कि स्वच्छ खाना, आश्रय, चिकित्सा सुविधाएं और पढ़ने और लिखने की सुविधाएं से संबंधित मौलिक मानवीय अधिकार है।

xiii. यदि किसी महिला को बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया जाता है तब उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष तब तक पेश नहीं किया जा सकता है जब तक की वह यात्रा करने के लिए उचित हालत में न हो।

xiv. महिला कैदियों के पास त्वरित विचारण का अधिकार है।

xv. यदि हवालात में किसी महिला को यातना और बुरा व्यवहार किया गया है तब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा सलाहकार द्वारा शारीरिक परीक्षण के लिए अनुरोध कर सकती है।

xvi. किसी निर्धन या मुहताज अभियुक्त जिसे गिरफ्तार किया गया है और जिसके प्राण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता संकट में उसे विधिक सहायता प्रदान करने का संविधान द्वारा अनिवार्य रूप

से अधिदेश न केवल संविधान के अनुच्छेद 39-क द्वारा अपितु अनुच्छेद 14 और 21 के द्वारा उपबंधित किया गया है।

xvii. जेलों में गर्भवती महिलाओं के अधिकार (प्रसवपूर्व और प्रसव के पश्चात् देखभाल, स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण आदि)।

5.3 महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ (CRIMES AGAINST WOMEN CELL)

- दिल्ली पुलिस में केंद्रीय स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी।

- पुलिस द्वारा विनिर्दिष्ट लिंग के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता को निम्नलिखित कारणों की वजह से पहले कुछ समय से महसूस किया जा रहा था:

  (i) महिलाओं की निम्न स्थिति,

  (ii) पुलिस थाने में कर्मचारियों द्वारा अधिकतर पुरूष पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं की समस्याओं के प्रति उदासीनता व्यक्त की जाती है और वे महिला पीिड़तों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं।

- वर्ष 1986 में इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के प्रत्येक नौ जिलों में अलग अलग प्रकोष्ठ स्थापित किए गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जनशक्ति, अवसंरचना और उत्तर दायित्व में बढ़ोत्तरी करने की व्यवस्था की गई है।

- इन प्रकोष्ठों के कार्य करने का एक आवश्यक भाग परिवार वालों को सलाह-मश्वरा देना है।

- भारत के अन्य शहरों और राज्यों में उनके पुलिस वालों के भीतर इसी प्रकार की इकाईयां स्थापित की गई है और कुछ दक्षिणी राज्यों में पुलिस थानों में केवल महिला अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रयोग किया गया है जिससे कि महिला शिकायतकर्ताओं के लिए अधिक सामर्थ्यकारी वातावरण को सर्जित किया जा सके।

अध्याय 6

राष्ट्रीय महिला आयोग

(NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN)

6.1 महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का रक्षोपाय करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन जनवरी 1992 में एक कानूनी निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत विषयों पर सरकार को सुझाव देना है।

6.2 उत्तरोत्तर महिला आयोगों ने अपनी रिपोर्टों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रचलित महिलाओं की असमान स्थिति पर ध्यान दिया तथा निगरानी कार्यों को पूर्ण करने तथा महिलाओं की शिकायतों के निपटारे को सुगम बनाने के लिए एक अभिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया। मुद्दे की महत्ता को महसूस करते हुए सरकार ने महिलाओं के लिए आयोग, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग कहा जाएगा, स्थापित करने का निर्णय लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनके मुद्दों और सरोकार के लिए आवाज बुलंद करना है।

6.3 अधिनियम की धारा 10 के अनुसार आयोग के कृत्य निम्नलिखित है:

- महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना ;
- उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना ;
- ऐसी रिपोर्टों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना ;
- संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके;
- संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना ;
- निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना:-

क) महिलाओं के अधिकारों का वंचन ;

ख) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन ;

ग) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मागर्दशर्क सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना ;

- महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके ;
- संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन □ालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता ;
- महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना ;
- संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना, और उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत ;
- बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना;

राज्य स्तर पर भी, महिला आयोग इन्हीं उद्देश्यों और कृत्यों के साथ अस्तित्व में है। संसाधन व्यक्तियों को आयोग की प्रक्रिया और दृष्टिकोण के बारे में लक्षित समूह को निश्चित रूप से अवगत कराया जाना चाहिए।

****